

बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक, और प्रथमा यू.पी. बैंक के सम्मेलन से "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" के गठन के बाद तीनों बैंकों के ग्राहकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ), ये FAQ ग्राहकों की सामान्य चिंताओं को संबोधित करेगा।

### 1) सम्मेलन क्या है और यह कब प्रभावी होगा?

उत्तर: सम्मेलन में बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक, और प्रथमा यू.पी. बैंक को मिलाकर एक नया प्रादेशिक बैंक, "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" बनाया गया है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह सम्मेलन 01 मई 2025 से प्रभावी होगा।

### 2) सम्मेलन से ग्राहकों को क्या लाभ होंगे?

उत्तर: सम्मेलन से बैंक की परिचालन दक्षता, वित्तीय स्थिरता, और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्राहकों को अधिक शाखाओं, बेहतर डिजिटल सेवाओं, और व्यापक उत्पादों तक पहुंच प्राप्त होगी।

### 3) मेरे मौजूदा खाते का क्या होगा?

उत्तर: आपके मौजूदा बचत, चालू, ऋण, या अन्य खाते नए बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, में स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएंगे। आपका खाता नंबर, शेष राशि, एवं अन्य विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि आपको विशेष रूप से सूचित न किया जाए।

### 4) क्या मुझे नया खाता खोलने की आवश्यकता होगी?

उत्तर: नहीं, आपको नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके मौजूदा खाते निर्बाध रूप से "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" के तहत काम करेंगे।

### 5) क्या सम्मेलन से ब्याज दरों पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: सम्मेलन के बाद, सम्मेलन से पूर्व तिथि में खुले सावधि जमा एवं आवर्ती जमा की परिपक्वता तक ब्याज दरों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सम्मेलन की तिथि से खोले जाने वाले नए सावधि जमा एवं आवर्ती जमा खाते के लिए नए बैंक में निर्धारित ब्याजदर लागू होगा। जिसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट या शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

### 6) मेरे डेबिट कार्ड, और पासबुक का क्या होगा?

उत्तर: आप अपने मौजूदा डेबिट कार्ड का उपयोग तब तक कर सकते हैं, जब तक वे वैध हैं या जब तक कि आपको विशेष रूप से सूचित न किया जाए। पुराने पासबुक के साथ आप वर्तमान के अनुसार लेन-देन कर सकते हैं। नए बैंक के नाम के साथ पासबुक धीरे-धीरे उपलब्ध कराए जाएंगे।

### 7) मेरे पास पड़े चेकबुक का क्या होगा?

उत्तर: आप अपने मौजूदा चेकबुक का उपयोग तब तक कर सकते हैं, जब तक कि आपको बैंक की वेबसाइट या शाखा के माध्यम से विशेष रूप से सूचित न किया जाए।

### 8) क्या मेरे ऋण या सावधि जमा (FD) पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: नहीं, आपके मौजूदा ऋण, सावधि जमा की शर्तें, ब्याज दरें, और अवधि अपरिवर्तित रहेंगी तथा सभी अनुबंध उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। सावधि जमा खाता के परिपक्वता के उपरांत यदि खाते का नवीनीकरण होता है तो वह नए बैंक के शर्तें, ब्याज दर, और अवधि के अनुसार होगा।

### 9) क्या बैंक की शाखाओं या ATM का स्थान बदलेगा?

उत्तर: समामेलन के कारण शाखाओं और ATM के स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य में, यदि किसी शाखा का स्थान परिवर्तन होता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इसकी सूचना पहले दी जाएगी। आप निकटतम शाखा या ATM खोजने के लिए बैंक की वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।

#### 10) क्या इन्टरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी?

उत्तर: समामेलन के बाद इन्टरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं वर्तमान के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। किसी भी बदलाव के बारे में आपको पहले सूचित किया जाएगा।

#### 11) मेरे KYC विवरण का क्या होगा?

उत्तर: आपके मौजूदा KYC विवरण (आधार, पैन, आदि) नए बैंक में मान्य रहेंगे। हालांकि, RBI दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ग्राहक जोखिम के अनुसार समय-समय पर Re-KYC अपडेट के लिए अनुरोध कर सकता है।

#### 12) क्या IFSC और MICR कोड बदल जाएंगे?

उत्तर: समामेलन के तुरंत पश्चात शाखाओं के IFSC और MICR कोड नहीं बदलेंगे। बैंक अपने वेबसाइट पर एवं शाखाओं के माध्यम से आपको नए कोड और उनके लागू होने की तारीख के बारे में सूचित करेगा।

#### 13) क्या समामेलन से शुल्कों पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: समामेलन के बाद एकरूपता के दृष्टिगत दिनांक 01-05-2025 से शुल्कों में बदलाव किया जायेगा। बैंक के ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर अद्यतन शुल्क को प्राप्त कर सकते हैं।

#### 14) क्या मेरे खाते से जुड़े ऑटो-डेबिट या स्थायी निर्देश प्रभावित होंगे?

उत्तर: आपके मौजूदा ऑटो-डेबिट, ECS, या स्थायी निर्देश निर्बाध रूप से काम करते रहेंगे। यदि कोई अपडेट (जैसे नया IFSC कोड) आवश्यक हो, तो बैंक आपको पहले सूचित करेगा।

#### 15) क्या मुझे समामेलन के बाद कोई दस्तावेज जमा करने होंगे?

उत्तर: सामान्य परिस्थितियों में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि आपके खाते का KYC अपडेट शेष है तो आप KYC दस्तावेज के साथ अपनी शाखा से संपर्क कर उसे अद्यतन करा सकते हैं।

#### 16) मैं समामेलन से संबंधित अपडेट कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर: समामेलन से संबंधित सभी अपडेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, SMS, ईमेल, या आपकी शाखा के माध्यम से साझा किए जाएंगे। नियमित अपडेट के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट रखें।

#### 17) निष्क्रिय खातों (Dormant Accounts) का क्या होगा?

उत्तर: यदि आपका खाता निष्क्रिय (डॉर्मेंट) है, यानी दो वर्षों से कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं हुआ है, तो यह स्वचालित रूप से “उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक” में स्थानांतरित हो जाएगा। खाते को सक्रिय करने के लिए, आपको अपनी शाखा में KYC दस्तावेज (जैसे आधार, वोटर कार्ड एवं पैन) और एक लेनदेन (जैसे जमा या निकासी) के साथ अनुरोध करना होगा।

#### 18) वेतनभोगियों के विशेष खातों का क्या होगा?

उत्तर: सम्मेलन के उपरान्त वेतनभोगियों के लिए विशेष खाते (जैसे सैलरी खाते) जो पूर्ववर्ती बैंक में खोले गए हैं वे “उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक” के तहत निर्बाध रूप से काम करते रहेंगे। इन खातों से जुड़े लाभ, जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा, न्यूनतम शेष छूट, या अन्य प्रोत्साहन, अपरिवर्तित रहेंगे, जब तक कि अन्यथा सूचित न किया जाए।

**19) क्या मैं पूर्ववर्ती बैंकों (बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यू.पी. बैंक) के खातों का बैलेंस एवं अन्य परिचालन सम्बन्धी कार्य किसी भी शाखा से कर सकूँगा ?**

उत्तर: तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के तकनीकी माइग्रेशन (Technical Migration) कार्य के उपरान्त खातों का बैलेंस एवं अन्य परिचालन सम्बन्धी कार्य “उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक” के किसी भी शाखा द्वारा बैंक नियमानुसार किया जा सकेगा।

**20) तकनीकी माइग्रेशन (Technical Migration) कार्य के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?**

नाबार्ड द्वारा जारी SOP के अनुसार तकनीकी माइग्रेशन (Technical Migration) कार्य को 30.09.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। बैंक अपने वेबसाइट पर एवं शाखाओं के माध्यम से आपको तकनीकी माइग्रेशन की तारीख के बारे में सूचित करेगा।

**21) मृतक ग्राहकों के खातों (Deceased Cases) का प्रबंधन कैसे होगा?**

उत्तर: तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के मृतक ग्राहकों के खाते स्वतः “उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक” में स्थानांतरित हो जाएंगे खाते को बंद करने या शेष राशि को नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए, नामिती या उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र, KYC दस्तावेज, और अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के साथ शाखा में आवेदन करना होगा। सम्मेलन से इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय पर निपटान के लिए शाखा से संपर्क करें।

**22) मैं अपनी शिकायतें या प्रश्न कहां दर्ज कर सकता हूँ?**

उत्तर: आप अपनी शिकायत शाखा से संपर्क कर या टोल-फ्री नंबर 18001800225 पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।